

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या: 2003 दिनांक: 19 मास: अक्टूबर वर्ष: 2009
 आवेदनकर्ता: Arshad Ahmad पता: राजिडा 5086
 मालिकता: मेमोरियल एडुकेशनल & वेल्फेयर ट्रस्ट

ने जो प्राप्त आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवधारों का सचित्र प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्यों के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति जो प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में नहीं है और जसो सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. 2003 से ता. 2009 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों को पता चला चला है अतः अवधार प्रमाण

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्र. दिनांक		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्ला	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	maurza P.S		Khalilpur Dangpur					
			822					
			963					
			3					
			25.25 decimal					

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. वॉचक-पत्र की दिशा व्यंजन की भर और पुनर्दान की अवधि दर्ज करें। यशों की उनके मां में बल्ले हो।
3. भट्टे की दशा में भट्टे की अवधि और चार्जिक लागत दर्ज करें।

में यह प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संबंधियों और अवधारों में जेड उक्त संबंधों को गणना करने वाले किसी अन्य संबंधियों और अवधारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

[Handwritten Signature]

(पदनाम):

तलाशी का संचालन करने वाले निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

[Handwritten Signature]

(पदनाम):

L.D.C

कार्यालय:

patna

तारीख:

18/6/15

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संबंधियों और अवधारों का नाम है, वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देगा किन्हीं संबंधियों को निर्दिष्ट दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वे दस्तावेजों से प्रमाणित संबंधियों (मान्यकरानक) इस प्रमाण-पत्र में शामिल करने किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-13 के अधीन जो व्यक्ति (बिहारी) और अनुसूचित (इन्डेन्स) की प्रतियों देखना चाहते हैं अथवा उनको प्रतिस्पर्धित लेना चाहते हैं-किन्हीं निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत है उन्हें तलाशी स्वयं करने होंगी। विहित फॉर्म को पुनर्दान करने पर उन्हें और अनुसूचितों उनको पास-सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए न्यायालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भी तह किये जायेंगे नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद दूरे गये संबंधियों और अवधारों को तत्पश्चात के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूरे गये ऐसे संबंधियों और अवधारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक

ताप संख्या

आवेदक श्री

का जलधार प्रमाण-पत्र द्वारा

का उनके पत्र संख्या

5176 दिनांक 18/6/15
 Arshad Ahmad Secretary - AL-Rabia Memorial Education
 Welfare Trust
 Manager The Bihar Awami Co-OP Bank LTD Muzaffarpur

दिनांक 16/6/15 के प्रसंग में आमस्थिति की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

18/6/15

patna